भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3009
दिनांक 27 मार्च, 2023

एलपीजी की कीमत में कर घटक

3009# श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक और घरेलू एलपीजी कीमतों में 1 मार्च, 2023 से क्रमश: रुपये 350.50/- और रुपये 50/-प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को विभिन्न टैक्स के रूप में अब कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फरवरी, 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) निम्नवर्ग और उज्ज्वला लाभार्थियों को घरेलू एलपीजी में दी जाने वाली छूट का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या कोई अध्ययन करवाया गया है जिससे पता चल सके कि टैक्सों के कारण मंहगे ईंधन से कितने लोग पुराने तरीके से भोजन पकाने के लिए बाध्य हुए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) वाणिज्यिक एलपीजी और घरेलू एलपीजी के लिए माल और सेवा कर की दरें क्रमश: 18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत हैं:

	दिनांक 01.03.2023 से दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए)	**लगाए गए जीएसटी की धनराशि (रुपए)**
घरेलू एलपीजी (14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर)	1103	52.53
वाणिज्यिक एलपीजी (19 कि.ग्रा. सिलिंडर)	2119	323.35

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

(ग) से (ड.) भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत के 60 प्रतिशत से अधिक का आयात करता है। सरकार घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार बढ़ाती-घटाती रहती है। जहां सऊदी संविदा मूल्य (सीपी), जिस पर घरेलू एलपीजी के मूल्य आधारित हैं, में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ये जनवरी, 2023 में 599 डॉलर/एमटी से बढ़कर फरवरी, 2023 में 790 डॉलर/एमटी हो गए हैं वहीं घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में केवल 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ये फरवरी, 2023 में 1053 रुपए से बढ़कर मार्च, 2023 में 1103 रुपए हो गया है।

जहां सरकार घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है वहीं वाणिज्यिक एलपीजी के मूल्य एलपीजी विपणन कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर काफी हानि हुई है। इस हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 22000 करोड़ रुपए के एकबारगी मुआवजे का भुगतान किया है।

गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी जिसके तहत बगैर जमानत राशि के 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। उज्ज्वला 2.0 के तहत बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शनों के अलावा सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को नि:शुल्क पहली रीफिल और स्टोव उपलब्ध करवाया गया था। दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए दिनांक 21.05.2022 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों हेतु अधिकतम 12 रीफिल्स प्रति वर्ष के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

यह देखा गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा ली गई रीफिल्स की संख्या वर्ष 2018-19 में 15.99 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 31.26 करोड़ हो गई है और इसी अवधि के दौरान प्रति लाभार्थी औसत खपत 3.00 रीफिल्स (14.2 कि.ग्रा.) से बढ़कर 3.68 रीफिल्स (14.2 कि.ग्रा.) हो गई है।

***